गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय)
इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ
दूरभाष संख्याः (0522) 2732193, फैक्स संख्याः 2732185.

पत्रांकः जी.बी.टी.यू./कुस0का0/2011/58053-56 दिनांकः 11 फरवरी, 2011

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य
गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय/
महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं।

विषयः शैक्षिक सत्र 2009-10 एवं 2010-11 में प्रदेश में स्थापित इंजी0 कालेजों में पात्र छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति की धनराशि समायान्तर्गत भुगतान कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0: 3891/सोलह-1-2010-229/2010 दिनांक 25.10.10, जिसके साथ प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्याः 3236/26-3-2010 -23वि0परि0/2009, दिनांक 8.9.10 तथा समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र सं0 2689/26-3-2010-4(358)/2007 दिनांक 11.10.2010 एवं विश्वविद्यालय के पत्र सं0: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/43686-44362, दिनांक 3.11.2010 तथा पत्र सं0: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/55636-56315, दिनांक 10.12.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय से उक्त पत्रों के साथ संलग्न समाज कल्याण विभाग के पत्र सं0 3236/26-3-2010-23 वि0परि0/2009, दिनांक 8.9.10 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययनरत तथा नवांगतुक प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं में से पात्र छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति विवरण के संबंध में छात्रों का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्र पर भरवाकर समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जनपदीय अधिकारियों को समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुए डेटा इन्ट्री कराने के निर्देश दिए गये थे। यह भी सूचित किया गया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र छात्र/छात्राओं से प्रवेश के समय शुल्क न लिया जाय। इसी क्रम में मा0 मंत्री जी की दिनांक 7.1.2011 को सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देशित किया गया है कि एक तिथि निर्धारित करते हुए समस्त संस्थाओं को इस आशय का पत्र भेजा जाय कि वो निर्धारित तिथि तक शुल्क प्रतिपूर्ति करा दें यदि इसके बाद किसी भी संस्थान में शुल्क प्रतिपूर्ति मिलने की शिकायत मिले तो उसकी सम्बद्धता समाप्त करने की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। उक्त के संबंध में आपको सूचित है कि दिनांक 28.2.2011 तक अनिवार्य रूप से समस्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रकरणों को निस्तारित कराते हुए इस आशय का एक एफिडेविट

विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें कि आपकी संस्था द्वारा पात्र छात्र से कोई फीस नहीं ली जा रही है। यदि कोई फीस ली गयी है तो उसे वापस कर दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त निर्धारित तिथि तक छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रकरणों को उपलब्ध न कराने वाली संस्थाओं के विरूद्ध विभागीय समीक्षा बैठक के निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 28.2.2011 तक अनिवार्य रूप से पात्र छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति के भुगतान की अद्यतन स्थिति संकलित कर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायें ताकि शासन स्तर से भी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित विभाग से अनुरोध किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नकः यथोक्त।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 7.1.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, महामाया प्राविधिक विश्वविद्याल, सी-22 सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।
3. अपर परीक्षा नियंत्रक, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त परिपत्र को कालेज लागिन पर डलवाने का कष्ट करें।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

pkm

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/ लखनऊ: दिनांक: 10 दिसम्बर, 2010
55636-56315

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय/
महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं ।

विषय- शैक्षणिक सत्र 2009-10 एवं 2010-11 में प्रदेश में स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों में पात्र छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति की धनराशि समयान्तर्गत भुगतान करने के संबंध में ।

संदर्भ- (1) शासन के पत्र संख्या: 3891/सोलह-1-2010-229/2010, दिनांक 25.10.2010
(2) शासन के पत्र संख्या: 4050/सोलह-1-2010-229/2010, दिनांक 28.10.2010

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: 3891/सोलह-1-2010-229/2010, दिनांक 25.10.2010, जिसके साथ प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या: 3236/26-3-2010-23वि0परि0/2009, दिनांक 08.09.2010 तथा समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या: 2689/26-3-2010-4(358)/2007, दिनांक 11.10.2010 जो विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/43686-44362 दिनांक 03.11.2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित की गई है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के साथ संलग्न समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या: 3236/26-3-2010-23वि0परि0/2009 दिनांक 08.09.2010 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययनरत तथा नवागंतुक प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं में से पात्र छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में छात्रों का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्र पर भरवाकर समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जनपदीय अधिकारियों को समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुए डेटा इन्ट्री कराने के निर्देश दिये गये है।

साथ ही समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या: 1668/26-3-2010, दिनांक 29.04.2010 में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 31.10.2010 तक सभी शुल्क प्रतिपूर्ति के मामलों को समाज कल्याण विभाग/संबंधित विभाग को प्रेषित करने हेतु भी शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु यह भी निर्देशित किया गया है कि

संस्थाओं के प्राचार्य/निदेशक की यह जिम्मेदारी होगी कि संस्था में प्रवेश के समय पात्र छात्र/छात्राओं से तत्समय शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रारूप भरवा लें।

इस संबंध में शासन से पत्र संख्या: 4050/सोलह-1-2010*229/2010, दिनांक 28.10.2010 द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि प्रदेश में स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों में पात्र छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति के भुगतान करने की अद्यावधिक स्थिति संकलित कर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायें।

अतः शासन के उक्त निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2009-10 एवं 2010-11 में संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति के भुगतान की अद्यावधिक स्थिति की सूचना संलग्न प्रारूप में केवल कालेज लागिन के माध्यम से अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराते हुए अविलम्ब अपलोड कराने का कष्ट करें ताकि शासन स्तर से धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित विभाग से अनुरोध किया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या: 4050/सोलह-1-2010-229/2010, दिनांक 28.10.2010 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कुलसचिव, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।
3. अपर परीक्षा नियंत्रक, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त परिपत्र को कालेज लागिन पर डलवाने का कष्ट करें।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

संस्थाओं के शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति के भुगतान की अद्यतन स्थिति

कम सं.	संस्था कोड	सत्र 2010-11							
		अनु0 जाति/अनु0 जनजाति		सामान्य वर्ग		पिछड़ा वर्ग		अल्पसंख्यक वर्ग	
		शिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति	शिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति	शिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति	शिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति

संस्थाओं के शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति के भुगतान की अद्यतन स्थिति

कम सं.	संस्था कोड	सत्र 2009-10							
		अनु0 जाति/अनु0 जनजाति		सामान्य वर्ग		पिछड़ा वर्ग		अल्पसंख्यक वर्ग	
		शिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति	शिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति	शिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति	शिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति